

<p>भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006</p>		<p>Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 474006</p>
<p>(PBX) : (91) 751-2368996/ 2368997; FAX: (91) 751-2368111/ 2368577; TELEX: 0786-202; GRAM: NARCOM; E-MAIL: narcom@bsnl.in</p>		
<p>F.No.II(3)62/Estt/Prom.SI to Insp./2017 2149</p>	<p>दिनांक: 14 नवंबर, 2017</p>	

स्थापना आदेश संख्या 74/2017

दिनांक 14.11.2017 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति 2016-17 के परिणाम के अनुसरण में इस विभाग में निम्नलिखित उप-निरीक्षक को एतद द्वारा निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करके 7th CPC के अनुसार Pay Matrix Level 7 रुपये 44900-142400 ((Pre-revised) रुपये 9300-34800 के वेतन बैंड-2(Pay Band-2) एवं रुपये 4600/- ग्रेड वेतन (scale)) में उच्च पद में उस दिनांक से पदस्थ किया जाता है जिस तिथि को वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	कर्मचारी का नाम (श्री/सर्वश्री)
1	2016-17	राजीव कुमार
2		शरद कुमार धरफले
3		अजय सिंह
4		पी०सी० चौधरी
5		अर्णब गांगुली
6		राजेन्द्र कुमार चौधरी
7		रवि कांत अग्रवाल
8		संजय कुमार बरनवाल
9		शिशुतोष पाणिग्रही
10		कैलाश चंद नौटियाल
11		रविन्द्र सिंह (ST)
12		ललित कुमार झा
13		रवि रंजन
14		के.सी. कोस्टा (ST)
15		जर्नादन गुप्ता
16		पवित्र धारा (SC)
17		पंकज कुमार गुप्ता
18		एस.के. मिश्रा
19		अविनाश कुमार मिश्रा
20		श्रीमती आरती रानी सरकार (SC)
21		कमल किशोर माहोर (SC)

उपर्युक्त: कर्मचारी यह नोट करें कि:-

1. The promotion of the above officials shall be subject to the final outcome of OA No. 330/01183/2016 in CAT, Allahabad.
2. इस आदेश के जारी होने के 15 दिन के अंदर यदि वे पदोन्नति का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं तो स्वामी संकलन की वरिष्ठता एवं पदोन्नति एवं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23034/3/81 स्थापना (ध) दिनांक 01.10.1981 पैरा 17.12 के अनुसरण में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
3. निरीक्षक के पद पर उनकी वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति 2016-17 द्वारा बनाये गये पैनल के आधार पर रखी जायेगी।
4. They should also note that their promotion is subject to the condition of successful completion of probation period of two years which can be extended, if their performance during the period of probation is not found to be satisfactory.
5. उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे DOPT OM No. 13/02/2017-Estt.(Pay-I) दिनांक 27.07.2017 के तहत पदोन्नति के उपरांत एक माह के अंदर अपने वेतन निर्धारण का विकल्प दे सकते हैं लेकिन जहाँ कर्मचारी ने योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर लिया है, वहाँ वेतन निर्धारण के कार्यालय ज्ञापन संख्या क्रमशः 35034/1/97.Estt. (D) दिनांक 09.08.1999 एवं दिनांक 19.05.2009 के तहत किया जावेगा।
6. उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों की पदस्थापना अगले आदेश तक यथावत (in-situ) रहेगी।

राजेश पुरी

(राजेश पुरी)
नारकोटिक्स आयुक्त

प्रति,

श्री.....

.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान् मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, नई दिल्ली
2. श्रीमान् महाप्रबन्धक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाने, नीमच/गाजीपुर
3. श्रीमान् उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच/कोटा/लखनऊ
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर
5. सतर्कता/वेतन बिल/लेखा अनुभाग/ केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर
6. निजी सहायक, नारकोटिक्स आयुक्त/उ.ना.आ./नीति/ सहायक नारकोटिक्स आयुक्त (ग्वालियर)
7. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल/Online section

(धर्म राज)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

14.11.2017